न्यायालयः:गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

आपराधिक प्रकरण क्रमांक—19 / 2017 संस्थापन दिनांक—20.01.17

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना <u>मालनपुर</u> जिला भिण्ड म0प्र0

----अभियोजन

बनाम

पंकज शुक्ला पुत्र रामरूप शुक्ला उम्र 23 वर्ष निवासी सुरेश नगर म.नं.546 थाना ठाटीपुर जिला ग्वालियर

———अभियुक्त

/ / अध्याय २१ द०प्र०सं० के अधीन संक्षिप्त विचारण / /

<u>—ःअपराध विवरणः—</u> अंतर्गत धारा 251दप्रस

मैं, गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड, आप आरोपी <u>पंकज शुक्ला पुत्र रामरूप शुक्ला</u> को निम्नलिखित अपराध की विशिष्टियां पढ.कर सुनाता व समझाता हूँ कि :—

- 1 आपने दिनांक 18.01.17 को समय करीब 08:00 बजे मालनपुर से पहले पाना पुल जिला भिण्ड पर वाहन कमांक एम0पी0—07—सी.डी.—0329 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया जो धारा 279 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय है। है।
- 2 उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया। जो धारा 146 / 196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

आपका उक्त अपराध उपरोक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है मै एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

अभियुक्त का अभिवाक्— अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

निर्णय

(आज दिनांक 20.01.2017 को पारित किया गया)

- आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 279 भा.द.
 स., धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
- 2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
279 भा.द.स.	न्यायालय उठने तक का	एक हजार रुपये	पांच दिवस
146 / 196 मोटरयान अधिनियम	कुछ नहीं।	एक हजार रूपये	पांच दिवस

3. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.डी.-0329 आरोपी से जप्त हुआ है। अतः आरोपी द्वारा दो लाख रूपये का स्वयं का बंधपत्र धारा 452 दप्रस के अधीन इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया जाये कि प्रकरण में अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के समक्ष वह वाहन को प्रस्तुत कर देगा। जप्त वाहन आरोपी को प्रदान किया जाये।

सही /-

गोपैश गर्ग जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड